न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/419

1. मोडू लाल आयु 50 साल पुत्र श्री गोरधन जी ।
2. श्रीमती पार्वती बाई बेवा श्री गोरधन जी जाति कुशवाह निवासीगण ग्राम खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) कायममुकामान – श्री गोरधन ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र माधो जाति कुशवाह निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मनोज कुशवाह पुत्र स्व0 रघुनाथ कुशवाह ।
   1/2. तुलसीराम कुशवाह पुत्र स्व0 रघुनाथ कुशवाह जाति कुशवाह निवासीगण खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   1/3. ललता बाई पत्नी मुकुट बिहारी पुत्री स्व0 रघुनाथ कुशवाह निवासी धाबाईयों का चौक गणेश गली, बून्दी जिला बून्दी ।
   1/4. गंगा पत्नी स्व0 अर्जुन लाल कुशवाह पुत्री स्व0 रघुनाथ जी निवासी पेट्रोल पम्प के पास, बोरखेडा कोटा ।
   1/5. ओमा बाई पत्नी प्रभूलाल पुत्री स्व0 रघुनाथ जी निवासी एचडीएफसी बैंक के सामने, कैथून रोड, ग्राम जालखेडा पोस्ट खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रामचन्द्र पुत्र किशन लाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 195 की 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 648 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 653 की 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 654 की 1.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 655 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 656 की 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 716 की 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 717 की 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 718 की 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 719 की 0.28 हैक्टर कुल 10 किता की 412 हैक्टर भूमि स्थित है । ग्राम धाकडखेडी में आराजी खसरा नम्बर 577 की 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 579 की 0.30 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 580 की 0.04 हैक्टर कुल 03 किता की 0.64 हैक्टर भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 336 की 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 524 की 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 543 की 0.49 हैक्टर कुल 03 किता की 2.09 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमियॉं पक्षकारान की पैतृक भूमियॉं हैं जिनमें वादीगण का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । उक्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की को–पार्सनरी भूमि है जो वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा स्वर्गीय गोपाल जी के खाते में दर्ज थी । गोपाल जी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि प्रार्थी व प्रतिवादी कमं 1 के पिता माधो के खाते में दर्ज की गई तथा माधो ली के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी कमं 1 ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके स्वयं के खाते में दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के 1/2 – 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए था । पक्षकारान पारिवारिक समझौते के अनुसार अपने–अपने खाते 1/2 – 1/2 हिस्सा पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं ।

3. अतः दावा वादी डिकी किया जाकर वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादपत्र की मद नम्बर 1 व 3 में वर्णित भूमि का वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार तथा वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि का वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का नियमानुसार बंटवारा किया जाकर उक्त भूमि हिस्से के मुताबिक अलग–अलग खाता कायम किया जाकर वादी व प्रतिवादी कमं 1 व 2 के खाते में अलग–अलग दर्ज की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिकी दिनांक 27.07.2012 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.07.2012 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि निर्णय पारित करने में साक्ष्य का विवेचन करते हुए कानून सम्मत तरीके से प्रत्येक तनकीवार निर्णय पारित किया जाता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी तनकी का निर्णय किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह वर्णित करते हुए कि वादी ने भूली बाई व रामकन्या बाई को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि पूर्व के दावे में यह दोनों पक्षकार थी और इस प्रकार वादी ने स्वच्छ हाथों से वाद प्रस्तुत नहीं किया है – किन्तु वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट के पिता एवं पति श्री गोरधन जी एवं रेस्पोडेन्ट कमं 1 ही मृतक माधो जी के वारिस थे तथा राजस्व रिकॉर्ड में भूली

बाई व रामकन्या बाई का नाम दर्ज नहीं था । केवल मात्र रेस्पोडेन्ट कम 1 का ही नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । ऐसी स्थिति में वाद में उन्हें पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र में ऐसी कोई आपत्ति नहीं ली गई थी वैसे भी भूली बाई व रामकन्या का स्वर्गवास हो गया था । अपीलान्ट के पिता स्व0 श्री गोरधन जी एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 दोनों माधो जी के जायन्दा पुत्र थे तथा वादग्रस्त आराजी श्री माधो जी जो कि गोरधन जी एवं रघुनाथ जी के पिता थे के खाते में दर्ज थी । उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है जिसमें सभी पुत्र एक आपसी सहमति एवं समझौते से सम्पत्ति के किसी हिस्से व भाग का पृथक–पृथक उपयोग व उपभोग करते हैं ताकि परिवार में शांति बनी रहे और विवाद उत्पन्न न हो । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 15.08.82 को पूर्व दावे में हुए राजीनामा को न्यायालय ने स्वयं मानने से इंकार कर दिया क्योंकि राजीनामा कानून सम्मत नहीं था । रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में कभी कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.07.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी अपीलान्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और यह कथन किया कि मंदिर मूर्ति की ओर से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध दावा पेश किया जाना स्वीकार है परन्तु उसमें निर्णय किया जाना शेष है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा में प्रस्तुत वाद की प्रमाणित प्रति, उक्त वाद में प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम की प्रमाणित प्रति, परगना अधिकारी, कोटा के निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.06.1972 की प्रमाणित प्रति हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है जो कि सीपीसी की पालना में अनिवार्य है । अपीलान्ट के पिता एवं पति गोरधन और रेस्पोडेन्ट कम 1 ही माधो जी के वारिस थे । भूली बाई और रामकन्या का नाम राजस्व रिकॉर्ड

में दर्ज नहीं था । ऐसी स्थिति में उनको पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं थी । प्रतिवादपत्र में भी इस आशय की कोई आपत्ति नहीं ली गई थी । गोरधन और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 माधो के पुत्र थे । वादग्रस्त आराजी माधो की थी उनके देहान्त के पश्चात् इस आराजी को उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार गोरधन एवं रघुनाथ सम्पूर्ण रूप से प्राप्त करने के अधिकारी थे परन्तु माधो की मृत्यु के बाद समस्त आराजी तथाकथित वसीसयत के आधार पर केवल रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम दर्ज की गई । रेस्पोडेन्ट ने उस आराजी को वसीयत के आधार पर प्राप्त करना बताया है । ऐसी स्थिति में वसीयत को कानून के अनुसार साबित करना आवश्यक था परन्तु इस तथ्य को भी नजरअन्दाज किया गया है । कृषि भूमि के विभाजन की एक निश्चित प्रकिया है जिसमें भूमिधारक की स्वीकृति होना भी आवश्यक होता है। पूर्व में हुए दावे में राजीनामा को न्यायालय ने मानने से इंकार कर दिया क्योंकि यह राजीनामा कानून सम्मत नहीं था । वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जिसको वसीयत करने का माधो को कोई अधिकार नहीं था । यह संभव नहीं कि एक पिता अपने एक पुत्र को सम्पूर्ण सम्पत्ति से वंचित कर दे, वसीयत बनावटी है । माधो मृत्यु से पूर्व गंभीर रूप से बीमार थे और सोचने–समझने की स्थिति में नहीं थे । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को नजरअन्दाज किया है । प्रस्तुत प्रकरण में एक तरफ रेस्पोडेन्ट वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण आराजी का स्वयं को खातेदार बताते हैं वहीं दूसरी तरफ वो जवाबदावे में ग्राम धाकडखेडी की पुराने खसरा नम्बर 501/169 की 05 ब्रीघा और ग्राम रसूलपुर की खसरा नम्बर 97/671 की 12 बीघा व खसरा नम्बर 120/871 की 04 बीघा 18 बिस्वा भूमि पारिवारिक विभाजन में वादी स्वर्गीय गोरधन को देना बताया है । उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट ने त्रुटिपूर्ण रूप से अपने तन्हा खाते दर्ज करवा ली है । रेस्पोडेन्ट ने चालाकी पूर्वक ग्राम रसूलपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 97/671 की 12 बीघा भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 186 रकबा 1.66 हैक्टर भूमि जो मंदिर के खाते की थी वादी को दी थी । इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खसरा नम्बर एवं राजीनामा में दर्ज खसरा नम्बर में भिन्नता होने के कारण न्यायालय ने राजीनामा को मानने से इंकार कर दिया उक्त राजीनामा के आधार पर न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया । दोनों पक्षों के द्वारा कोई दूसरा राजीनामा भी पेश नहीं किया है । दावा अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खरिज कर दिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की है । वसीयत के निष्पादन में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने एक्टिव भूमिका निभाई है । वसीयत प्रमाणित नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.07.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में सीडीआर 2007 (एससी) पेज 827, 2008 सीडीआर (एससी) पेज 910, एआईआर 2004 (राज0) पेज 286, एआईआर 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज 133, डीएनजे 2013 (एससी) पेज 62, आरआरडी 1984 पेज 51, आरआरडी 2008 पेज 696, आरबीजे (7) 2000 पेज 116, आरआरडी 2008 पेज 01, डीएनजे 2017 पेज 1408, आरएलआर 2001 (3) पेज 559 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में एक दावा वादी ने अन्तर्गत धारा 91 एवं 183 का सन् 1980 में पेश किया था जिसमें वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा और कब्जे की रिलीफ चाही गई थी । इस दावे का प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है और जवाबदावे में बिन्दु संख्या 01 में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् माधो ने सन् 1973 में एक वसीयत प्रतिवादी के नाम निष्पादित कर पंजीकृत करवायी थी । इस दावे में पक्षकारान के द्वारा एक राजीनामा पेश किया गया । राजीनामा पेश

होने के उपरान्त दावा दिनांक 18.11.87 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया इसके उपरान्त वादी ने यह नया दावा पेश किया है इस दावे में उनके द्वारा पूर्व में पेश किये गये दावे के बाबत् कोई कथन नहीं किया गया है और पूर्व में प्रतिवादीगण ने वसीयत की जानकारी अपने जवाबदावे में दी थी तो उसका जिक भी वादीगण ने अपने इस दावे में नहीं किया है । प्रतिवादीगण ने जवाबदावे में पुनः इस वसीयत का जिक किया है वादीगण ने जवाब उल जवाब पेश नहीं किया है । अब वादीगण को इस वसीयत के बाबत् कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने इस बाबत् कोई आपत्ति अपने दावे में अथवा जवाब उल जवाब में नहीं की है और वादी अपनी प्लीडिंग से विपरीत कोई ऐसा कथन करने से स्टोप्ड हैं । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के खाते में दर्ज है । प्रतिवादीगण ने वसीयत के आधार पर हक घोषणा की प्रार्थना नहीं की है जबतक वादी अपने दावे अथवा जवाब उल जवाब दावे में वसीयत को चैलेंज नहीं करते हैं तब तक वो वसीयत के विपरीत कथन करने से स्टोप्ड हैं । वादीगण के द्वारा जो पूर्व में दावा पेश किया गया था वो अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था । ऐसी स्थिति में सीपीसी के आदेश 09 नियम 09 के तहत वो नया दावा पेश नहीं कर सकते हैं । वादी के द्वारा जो बयान दिये गये हैं उनकी ओर विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बयानों में वादी ने यह कथन किया है कि पूर्व में दावे में राजीनामा हुआ था जो प्रदर्श– डी–2 है । इस राजीनामे के अनुसार दोनों को 22 – 22 बीघा भूमि मिली थी, मुझे कुछ भूमि खाते की मिली और कुछ भूमि बिना खाते की मिली थी । मेरा इस बात का विवाद है कि मुझे जो बिना खाते की भूमि मिली है उसमें से आधी भूमि रघुनाथ ले और मुझको उसकी एवज में खातेदारी की भूमि दी जावे । इसके अलावा हमारा कोई विवाद नहीं है । यह बात सही है कि जो राजीनामे में जो जमीन मुझे 22 बीघा दी गई थी वह तब से आज तक मेरे कब्जे काश्त में चली आ रही है । इस प्रकार वादी राजीनामे को स्वीकार करते हैं और विवाद मात्र बिना खाते वाली आराजी का बता रहे हैं और राजीनामे के हिसाब से प्राप्त आराजी पर अपना कब्जा भी बता रहे हैं । इस प्रकार प्रकार राजीनामा एक्ट अपोन भी हो गया है । पक्षकारान ने यदि विभाजन कर लिया है और अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं तो ऐसे विभाजन के लिए भूमिधारक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । माधो ने प्रतिवादी के पक्ष में जो वसीयत निष्पादित की है वो पंजीकृत वसीयत है । वसीयत के बाबत् कोई तनकी भी कायम नहीं हुई है क्योंकि इस बाबत् वादी ने कोई आपत्ति नहीं की थी । बयानात में गोरधन ने कहा है कि मेरे पिता की सेवा रघुनाथ ने की थी । मेरे पिताजी उम्र पकने की वजह से मरे थे । बीमार नहीं थे । इस प्रकार वसीयत माधो जी ने स्वस्थ्यचित्त रघुनाथ की सेवा से प्रसन्न होकर की थी । वादी का दावा आदेश 09 नियम 09 सीपीस के तहत मेन्टेनेबल नहीं है । जहाँ तक तनकीवार निर्णय का प्रश्न है यदि मुख्य विवाद के बिन्दु का विनिश्चय कर दिया जाता है तो तनकीवार निर्णय पारित नहीं होने की स्थिति में भी उसे विधि सम्मत माना जा सकता है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 27.07.2012 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1971 कलकत्ता पेज 155, एआईआर 1954 (एससी) पेज 82, 2017 (3) सीसीसी (एससी) पेज 509, आरआरटी 2003 पेज 423, आरआरडी 1985 एनओसी पेज 36, आरआरडी 1985 पेज 694, एआईआर 1976 पेज 10, 2014 (1) आरआरटी पेज 509, डब्ल्यूएलसी 2007 पेज 123, आरबीजे (5) 1998 पेज 615, 2018 (2) आरआरटी पेज 848, आरआरटी 2011–12 (सप्ली0) पेज 617, आरआरटी 2008 (1) पेज 117, आरआरडी 1988 पेज 143, डीएनजे 2013 (एससी) पेज 70, एआईआर 1998 पेज 117 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 08 तनकीयात कायम की गई हैं जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज संख्या 29 पर संलग्न हैं परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है, जबकि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है । इस कम में विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा यह कथन किया गया कि दाव में विचारण योग्य मुख्य विवाद को निर्णित कर दिया गया हो तो तनकीवार निर्णय नहीं पारित किये जाने के आधार पर निर्णय को अवैध नहीं ठहराया जा सकता । इस क्रम में उनके द्वारा एआईआर 1976 (राज0) पेज 10 और आरआरटी 2014 (1) पेज 509 उद्धरत की । इन नजीरों की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में न तो वादी अथवा प्रतिवादी के द्वारा पेश की गई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना की है और न ही तनकीयात पर विवेचना की है प्रकरण में जो मुख्य विवाद बिन्दु है उनका विवेचन नहीं किया है । इस कारण विद्धान रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत ये दोनों नजीरें प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है ।

13. विद्धान् रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस यह भी कथन किया है कि पूर्व का दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था । ऐसी स्थिति में वादी के द्वारा पेश किया गया नया दावा आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के अनुसार नया दावा पोषनीय नहीं है । इस क्रम में उनके द्वारा 2017 (3) सीसीसी (एससी) पेज 509 उद्धरत की । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो तनकीयात कायम की गई हैं । उसमें इस आशय की कोई तनकी कायम नहीं की गई है उसमें रेसजूडीकेटा के बाबत् तो तनकी नम्बर 04 कायम की गई है परन्तु आदेश 09 नियम 09 के बाबत् कोई तनकी कायम नहीं की गई है ।

14. विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी में यह कथन किया गया है कि पूर्व के दावे में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ है जो तस्दीक हुआ था ओर राजीनामा हो जाने से वाद निरस्त हुआ था । इस राजीनामा को वादी ने इस वाद में भी स्वीकार किया है । खेडा रसूलपुर वाली भूमि खातेदारी की नहीं होने से शेष आराजी के लिए राजीनामे से सहमत होना गोरधन ने अपने बयानों में स्वीकार किया है । इस क्रम में पूर्व दावे की पत्रावली का अवलोकन किया गया । पूर्व दावे की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.06.1982 के अनुसार राजीनामे में बताए गये खसरा नम्बरान एवं जमाबन्दी में खसरा नम्बरान भिन्न हैं । ऐसी स्थिति में पक्षकारान या तो जमाबन्दी के अनुसार राजीनामा को निष्पादित करावे अथवा सही जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे जिससे आदेश दिया जा सके । इसके उपरान्त दिनांक 11.08.82 को वादी के वकील एवं वादी के उपस्थित नहीं होने पर दावा वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनाक 11.08.1982 को खारिज किया गया ।

15. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें न तो वादी एवं प्रतिवादी के पेश किये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों की विवेचना की है और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया है जो कि सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 की पालना में अनिवार्य है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.07.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गई प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान द्वारा पेश की गई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवेचन करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.03.2019 को उपस्थित हों । यदि रेस्पोडेन्टगण आदेश 09 नियम 09 के बाबत् पैरा संख्या 13 में किये गये विवेचन अनुसार अतिरिक्त तनकी क़ायम करवाना चाहते हैं तो वो अधीनस्थ न्यायालय में अतिरिक्त तनकी कायम करवा सकते हैं । साथ ही यदि पक्षकारान पूर्व में किये गये राजीनामा के क्रम में अग्रिम कार्यवाही न्यायालय से चाहे तो इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं ।

17. निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा